न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डार

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 293/2026

सचिन मीणा उर्फ लउआ पुत्र श्री प्रमोद मीणा उर्फ पिन्टू, उम्र करीबन 19 साल, निवासी मीणापुरा, पुलिस थाना बगड तिराहा, जिला अलवर (राज.)

--प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2026, पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 305 ए, 331(4) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः-

1- श्री आमीन खां, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 23.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त सचिन मीणा उर्फ लउआ की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2026, पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी ओमप्रकाश सोनी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना एन.ई.बी. अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 24.02.2026 को रात में 02:00 ए.एम. पर उसकी दुकान गोविन्द ज्वैलर्स, मन्नाका रोड, अलवर में चोरी हो गई, जिसमें चांदी पायजेब, सिक्के, बच्चों के कडे, चैन, चुटकी, अंगूठी और सोने के कांटा, बाली आदि सभी थे----------इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2026 पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर में धारा 305 ए, 331(4) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 18.03.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करना साबित होता हो। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक है, जिसके पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव

पडेगा। उससे कोई बरामगदी अथवा अनुसंधान शेष नहीं है। वह समुचित जमानत पेश करने को तैयार है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी की दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात को चोरी किए जाने संबंधी गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। वर्तमान में चोरी की घटनाएं निरंतर बढती जा रही हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी की दुकान में रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर, दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने संबंधी धारा 305(a), 331(4) भारतीय न्याय संहिता के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में चोरी गए सामान की बरामदगी की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 18.03.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत करीबन 06 दिनों से निरंतर पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए, प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

7- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त सचिन मीणा उर्फ लउआ पुत्र श्री प्रमोद मीणा उर्फ पिन्टू की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपये मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

8- आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन, विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर